# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर– 302005 (राज.)

फोन नः0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल ::edprmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(361)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-14/2022/500 Dated:- 09.02.2023

## कार्यालय आदेश

फर्म M/s Medipol Pharmaceuticals India Pvt. Ltd., C-20, Sec-63, Noida, U.P. 201301 ने आईटम कोड 701 ( Tab Lamotrigine IP 50 mg (Each Sustained ReleaseTablet contains Lamotrigine IP 50 mg) के लिये निविदा क्रमांक F.02(361)/RMSCL/ PROCUREMENT/DRUG/NIB-14/2022/2743 Dated:-08.09.2022 में बिड प्रस्तुत की थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 07.10.2022 एवं वित्तीय बिड दिनांक 31.10.2022 को खोली गई। जिसमें आइटम 701 की दरों के अनुमोदन हेतु प्रकरण क्रय समिति की बैठक दिनांक 02.11.2022 में रखा गया था। जिसमें फर्म एल–1 रही तथा दर को अनुमोदित कर एलओए जारी किया गया था।

उक्त आईटम के लिए बिड सूचना संख्या F.02(279)/RMSCL/ PROCUREMENT /DRUG/NIB-04/2020/384 Dated:-03.03.2020 के अन्तर्गत फर्म द्वारा दर अनुमोदन होने पर औषधि की आपूर्ति नहीं करने के कारण निगम के आदेश क्रमांक एफ.04/( )/आरएमएससीएल/ विशेषाधिकारी/2021/3444 दिनांक 28.02.2022 के द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित (डिबार) किया गया है। बिड शर्त सं. 2(e) के अनुसार फर्म उक्त आइटम की बिड प्रस्तुत करने हेतु योग्य नहीं थी। फर्म ने बिड में लगाये गये परिशिष्ठ VII में दी गयी Undertaking में उक्त डिबारिंग के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी थी। इस सम्बन्ध में फर्म से स्पष्टीकरण चाहने बाबत पत्र क्रमांक 8520 दिनांक 15.11.2022 लिखा गया परन्तु फर्म ने इसके सम्बन्ध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

निविदा शर्त सं. 2(e) में उल्लेखित प्रावधान :–" Bid should not be submitted for the product/products for which the concern/company stands blacklisted /banned/debarred on the date of bid submission either by Bid inviting Authority or Govt. of Rajasthan or its departments on any ground. The Bid should not be submitted for those products also for which the concern/company stands blacklisted/banned/debarred on the date of bid submission by any other State/Central Govt. or it's any agencies (central Drugs procurement agencies) on the ground of conviction by court of law or the products being found Not of Standard Quality. (NoSQ)." एवं **<u>GUIDELINES FOR BLACK LISTING / DEBARRING OF PRODUCT OR COMPANY</u>** के **<u>1.</u> ON SUBMISSION OF FALSE, FORGED OR FABRICATED DOCUMENTS OR CONCEALING OF FACTS:** के 1.1 में उल्लेखित प्रावधान "The tenderer who submits false, forged or fabricated documents or conceals facts with intent to win over the tender or procure purchase order; EMD of such tenderer firm will be forfeited and firm will be liable for debarring for a period of not Less than 2 years. The firm will also be liable for Legal action depending on the facts & circumstances of the case". के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 13.12.2022 में रखा गया। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने बाबत लिखा गया लेकिन फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

अतः बिड शर्तो का उल्लंघन मानते हुए M/s Medipol Pharmaceuticals India Pvt. Ltd को औषधि आइटम कोड 701 (Tab Lamotrigine IP 50 mg (Each Sustained ReleaseTablet contains Lamotrigine IP 50 mg.) के लिये आरएमएससी की निविदाओं में भाग (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार करने तथा राशि रू 236000/- (GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रू दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

9/2/23
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(361)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-14/2022/500 Dated:- 09.02.2023

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
7. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
8. OIC, Supply, आरएमएससीएल।
9. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स Medipol Pharmaceuticals India Pvt. Ltd द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्योरिटी राशि रू 200000 (D.D No. 002205, dated 03.10.2022, HDFC BANK) जो कि इस अनुभाग की अनौ टीप क्रमांक 3132 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया है, जिसमें से राशि रू 2 लाख (अक्षरे राशि रू दो लाख मात्र) जब्त करें तथा फर्म के अन्य भुगतान से शेष राशि रू. 36000 होल्ड करें।
10. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड़ करावें।
11. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Medipol Pharmaceuticals India Pvt. Ltd., C-20, Sec-63, Noida, U.P. 201301 को भेजकर लेख है कि आरोपित की गयी पैनल्टी में से शेष राशि रू. 36000 निगम में दिनांक 08.02.2023 तक (चालान/डीडी/RTGS) द्वारा जमा कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।
12. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल